ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 24, अंक 226 अगस्त 2022

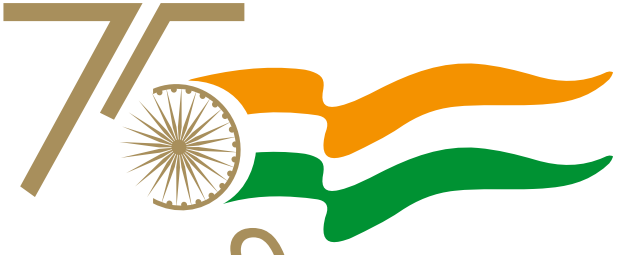

आज़ादी का अमृत महोत्सव

76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 24 अंक 226
अगस्त 2022

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/9510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रहिम श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2.	भारतीय राजनीति में नारी का वर्तमान परिदृश्य	कु. निशा गौतम (शोध छात्रा)	04
3	AN OVERVIEW OF THE MAINTENACE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007 WITH SPECIAL REFERENCE TO THE RIGHTS OF SENIOR CITIZENS	Dr. Shamsher Singh Mr. Ranit Singh	07
4.	आधुनिक समाज में लोकगीतों की प्रासंगिकता	डॉ. ईशा कपूर	11
5.	परदेशी राम वर्मा की 'जतन' कहानी संकलन में सामाजिक जागृति	कमल कुमार बोदले (शोधार्थी)	14
7.	रत्नकुमार सांभरिया के वीमा नाटक में व्याप्त दलित चेतना	सतीश शामराव मिराशे	17
8.	हरियाणा की हिन्दी कविता में दलित	राजेश कासनिया (शोधार्थी)	20
9.	जैन दर्शन में नीति तत्व	डॉ. बबलू वेदालंकार	23
10.	युगान्त परिवर्तन (कविता)	डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी	26

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अद्वितीय और अनुपम स्वतंत्रता संग्राम रहा है। विश्व इतिहास में उस प्रकार का अन्य कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। 'सत्य मेव जयते' के इस युद्ध में सभी देशवासियों ने अपनी–अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वप्रेरणा से पूरा–पूरा सहयोग दिया और सारा राष्ट्र जब एक राष्ट्रध्वज के नीचे अपने नेता के मार्गदर्शन में पूर्ण अनुशासनबद्ध रहकर सभी प्रकार के कष्टों को उठाने एवं अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिये कटिबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर आजादी के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी विजय हुई और देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में सभी सैनानियों का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य देश को आजाद करवाना था। देश भक्ति की भावना की जो बाढ़ थी उसमें ब्रिटिश सत्ता डूब गई।

इस संसार की धरती पर जितने भी देश उभरे हैं उनमें भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत इस धरती पर स्वर्ग है। आजादी के पचत्तर वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह देश भर में छाया हुआ है – घर–घर तिरंगा की भावना व विचार एक बार पुनः देशवासियों के मन में गर्व की अनुभूति करा रही है। इन पचत्तर वर्ष में हमने अनेक ऐसी उपलब्धियाँ भी अर्जित की है जिनके फलस्वरूप संसार भर में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। परन्तु जब हम स्वाधीनता के पचत्तर वर्ष में अपनी विकास यात्रा का सिंहावलोकन करते हैं तो एक तीखा प्रश्न बार–बार कौंधता है कि स्वाधीन हो जाने पर भी देश के तंत्र और व्यवस्था में समता और ममतामूलक जिस सुगठित समाज व राष्ट्र की कल्पना स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और संविधान निर्माताओं ने की थी वह आकाश कुसुम की भांति अप्राप्य क्यों होता जा रहा है? जिस लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ा था आज उसकी चर्चा भी सुनाई नहीं देती। अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल एवं सरदार भगतसिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की आजाद भारत में समाजवादी व्यवस्था की परिकल्पना को सामंतवादी एवं पूंजीवादी व्यवस्था ने एक स्वप्न बना दिया है।

सत्ता, शासन, अर्थ, पद, वोट की राजनीति ने राष्ट्र भक्ति, मानवता के मापदण्ड़ों को तोड़–मरोड़ डाला है। प्रायः प्रत्येक योजनाकाल में और प्रत्येक बार के आम चुनाव में सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा–पत्रों में देश से गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणाएं की जाती रही परंतु स्थिति ऐसी बनी कि ज्यों–ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। 75 वर्षों में देश में पूंजी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और साथ–साथ साम्प्रदायिकता, अलगाव, असमानताएं, अनियमितताएं, लूटपाट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। जन असंतोष से सरकारें बदलती रही, फिर भी राष्ट्रीय स्थिरता बिखरती गई। देश की आत्मा को विचलित कर देने वाली कुछ घटनाओं के कारण देशवासियों का मन बहुत क्षुब्ध और खिन्न है।

इन अव्यवस्थाओं पर रोने, आक्रोश व्यक्त करने के बजाय अब कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की विधि व्यवस्था का प्रश्न केवल समान नागरिक संहिता (कामन लॉ) के प्रश्न तक सीमित नहीं हो सकता। विधि का प्रथम बुनियादी तर्क उसके देश से गूँथे होने का है। दुनिया में सबसे बड़ी बात आज भी जीवन ही है। अन्याय, अत्याचार, भेदभाव से समझौता करके अपने अस्तित्व को खरीदना नैतिक व मानवीयता के सिद्धांत के खिलाफ है। शहीद का खून क्रान्ति का बीज बनता है। संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन विचार, आदर्श और देशहित के सपने कभी नष्ट नहीं होते। स्वतंत्रता व संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा झण्ड़ा–हमारा राष्ट्रध्वज सदा फहराता रहे। देशवासियों में एकता व भातृत्व भाव बना रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ इन पंक्तियों को सभी सार्थक करें–''हिन्द देश के निवासी, सभी जन एक हैं। रंग–रूप वेश–भाषा, चाहे अनेक हैं।'' वन्दे मातरम् भारत माता की जय।

– डॉ. तारा परमार

भारतीय राजनीति में नारी का वर्तमान परिदृश्य

(उ.प्र. की राजनीति के संदर्भ में : एक विश्लेषण)

– कु. निशा गौतम (शोध छात्रा)

सारांश – दुनियाभर में हाल ही के वर्षों में राजनीति में महिलाओं का एक नया आयाम सामने आया है। जिसमें भारत भी पीछे नहीं रहा अधिक से अधिक महिलाएं अब राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। परम्परागत एवं रूढ़िवादिताओं पर जोर दिया और अपने स्वार्थ की खातिर महिलाओं को राजनीति से दूर एवं अनुपस्थित रखा।

अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली शासन का श्रेष्ठतम रूप है। इसका सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है, यह प्रणाली महिला एवं पुरूष दोनों को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान तक की योजनाओं में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर को उँचा उठाने तथा राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अलग से आर्थिक सहायता का प्रावधान भी सरकार द्वारा महिला आयोग, संस्थाओं, महिला संघों आदि के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। ताकि महिलाएं सशक्त बन सके, स्वतंत्रता के बाद इन्दिरा गाँधी का प्रधानमंत्री बनना सबसे बड़ी उपलब्धि रही यू.पी. विधानसभा में ''लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ'' का नारा देकर प्रियंका गाँधी ने महिला सक्रियता को नई हवा दी जिसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों पर दिखा और राजनितिक दलों ने महिलाओं को काफी टिकट दिये कुल 47 महिलाएं सफल रहीं। वहीं 2017 में 38 महिलाओं ने सफलता हासिल की थी। जो की पुरूषों की तुलना में अभी भी कम ही है।

संकेत शब्द – सशक्त, महिला चेतना, लोकतांत्रिक, महिला, पुरूष, विधानसभा, परिदृश्य राजनीति ।

प्रस्तावना– आज दुनिया (विश्व) के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। यह प्रणाली स्त्री एवं पुरूष दोनों को उन्नति, विकास, उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप पूरे विश्व में महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी के लिए अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। आज विकसित और विकासशील सभी देशों में स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों में सुधार करने और उनकी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास हर स्थान और स्तर पर किये जा रहे हैं। यदि उ.प्र. में देखें कि सरकार ने क्या प्रयास किये, महिलाओं की स्थिति को सुधारे वे इस प्रकार है :–

यू.पी. मिशन शक्ति अभियान – उ.प्र. मिशन शक्ति अभियान की शुरूआत बेटियों को आत्म निर्भर एवं सुरक्षित बनाने के लिए की गई इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की स्त्रियों, बेटियों को जागरूक किया जाता है ताकि वो आगे बढ़े व देश के विकास में अपना योगदान दें और सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकें, इसके अलावा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी संचालन किया जाता है। प्रदेश के सभी 75 जिलो में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

मिशन शक्ति अभियान को 31 अगस्त 2021 को लांच किया गया था। इसका प्रभाव काफी हद तक देखा जा रहा है। अब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं,वे अपने पसंद ना पसंद के कार्यो में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता तक चुन रही हैं और राजनीति के साथ–साथ समाज में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

यू.पी. भाग्यलक्ष्मी योजना–इस योजना की शुरूआत यू.पी. के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ जी के

द्वारा राज्य की लड़कियों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई थी, इस योजना के अन्तर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी और बेटी की माँ को भी 5,100 रूपये की धनराशि वित्त सहायता द्वारा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत जब लड़की 6ठी कक्षा में होगी तो माता–पिता को अंकन 3,000 एवं 8वीं कक्षा में 5,000 रू. दिये जायेगें। इस योजना के अन्तर्गत लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर लडकी के माता–पिता को 2,00,000 रू. की धनराशि प्रदान की जायेगी। इससे यह लाभ होगा कि एक तरफ तो बालिका हत्या पर कुछ रोक लगेगी, दूसरा जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षित नहीं करा पाते थे, अब उनको समस्या नहीं होगी और जब स्त्रियों की बड़ी आबादी शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी।

कन्या सुमंगला योजना–यह योजना भी बालिकाओं के हित में ही है। इस योजना की शुरूआत लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरा खर्चा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रू. की कुल धनराशि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। वर्ष 2020 के अन्तर्गत कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख या इससे कम होनी चाहिए, इसका लाभ गरीब तबके की बालिकाओं को मिलेगा समाज, राज्य, देश के कार्यो में अभी तक धनी लोगों का ही वर्चस्व है, परन्तु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अब गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मुखबिर योजना–कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उददेश्य से मुख्यमंत्री योगी जी ने महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत मुखबिर योजना को शुरू किया था, इस योजना के लिए नम्बर 181 शुरू किया गया, जिसके तहत 64 रेस्क्यू वैन भी तैयार की गयी इस योजना के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं मदद माँग सकती हैं, तो वही भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों को दस हजार रूपये से दो लाख रूपये तक का ईनाम दिया जाता है।

वैसे देखा जाए तो अब महिलाओं ने घर की चौखट लांघना शुरू तो कर दिया है, चारदीवारी से निकलकर हिमालय से लेकर अंतरिक्ष में और नौ सेना में कदम तो रख दिये हैं, परन्तु राजनीति से अभी भी काफी दूर हैं, जब तक राजनीति में महिलाओं की पुरूषों के बराबर भागीदारी नहीं होगी तब तक राजनीति में पारदर्शिता एवं राजनीति से गन्दगी साफ नहीं होगी क्योंकि जहाँ पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की भागीदारी कम होगी वहाँ महिलाओं का शोषण ही होगा।

काफी समय पहले वर्ष 1926 तक सभी प्रांतो में महिलाओं को सीमित मताधिकार और प्रान्तीय विधान सभाओं में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था। वर्ष 1925 में भारतीय महिला परिषद् की सरोजनी नायडु कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वर्ष 1927 में ऑल इण्डिया वूमैन की स्थापना हुई, जिसने सामाजिक सुधारों के साथ–साथ राजनीतिक जागरूकता लाने और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सफलता भी पाई। वर्ष 1952 से वर्तमान तक लोकसभा में महिलाओं की संख्या क्रमशः

क्र.स.	वर्ष	कुल सदस्य	मा0 की संख्या	महिला प्रतिशत
1.	1952	489	22	04.49
2.	1957	494	27	05.46
3.	1962	494	34	06.88
4.	1967	523	31	05.83
5.	1971	521	22	04.22
6.	1977	544	19	03.49
7.	1980	544	28	05.14
8.	1984	544	44	08.08
9.	1989	529	28	05.29
10.	1991	509	36	07.07
11.	1996	541	40	07.39
12.	1998	545	44	08.07
13.	1999	543	48	08.83
14.	2004	543	45	08.98
15.	2009	543	59	10.86
16.	2014	543	61	11.23
17.	2019	543	78	14.3%

स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम श्रीमती इन्दिरा गाँधी का प्रधानमंत्री पद पर सत्तारूढ़ होना बड़ी उपलब्धि थी तब से लेकर आजतक बहुत सारी महिलाएँ अनेक शीर्ष पदों पर सुशोभित हुई, जिनमें वर्तमान में प्रमुंख चेहरे हैं, निर्मला सीतारमन, सोनिया गाँधी, प्रियंका गाँधी, मायावती, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल, डिम्पल यादव आदि।

उत्तर प्रदेश महिला सहभागिता

क्र.स.	वर्ष	महिला प्रत्याशी	विधान बनो
17	2022	560	47
16	2017	482	42
15	2012	583	35
14	2007	370	23
13	2002	344	26
12	1996	117	20
11	1993	259	14
10	1991	226	10
9	1989	207	18
8	1985	--	31
7	1980	--	23
6	1977	64	11
5	1974	92	21
4	1967	39	06
3	1962	61	20
2	1957	--	18
1	1952	--	20

उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है जब एक साथ 47 महिलाएँ विधानसभा में आधी आबादी की आवाज बनेंगी। इससे पता चल रहा है धीरे–धीरे अब महिलाएँ राजनीति में सक्रिय होने लगी हैं। परन्तु पुरूषों की तुलना में महिलाओं की आबादी अभी भी कम ही है। खुद को पुरूषों के बराबर लाने में महिलाओं को अभी और संघर्ष करना होगा ताकि स्थिति 50– 50 प्रतिशत हो सके।

निष्कर्ष – भारतीय राजनीति प्रक्रिया ही नहीं अपितु समग्र समाज में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को देखकर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के किसी मार्ग पर भी महिलाओं की स्वतंत्रता बाधित नहीं है। धीरे–धीरे महिलाएं चारदीवारी से निकलकर राजनीति में कदम बढ़ा रही हैं। उसी का परिणाम है आज वर्तमान में 47 महिलाएं विधानसभा में अपना स्थान बना पायीं हैं। अतः देखा जा सकता है कि अवसर मिलने पर महिलाओं ने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। इस बात को पितृसत्तात्मक समाज को समझना होगा क्योंकि महिलाओं की राजनीति में सक्रियता इतनी कम है कि उसे आसानी से उंगलियों पर गिना जा सकता है।

शोध छात्रा
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
मंगलायतन विश्वविद्यालय बेसवान
अलीगढ़, यू.पी., भारत–202145
मोबा. 6395342151

संदर्भः–

1. कश्यप सुभाष : तीसरा संस्करण 2012, मूल अधिकार नेहरू भवन, नई दिल्ली।
2. कश्यप सुभाषः पहला संस्करण 1996, भारतीय राजनीति और संसद, वसंत कुंज, नई दिल्ली।
3. रंजन राजीव, 2000 चुनाव लोकसभा और राजनीति ज्ञान गंगा दिल्ली, पृ0 350
4. दैनिक जागरण चुनावी नतीजे, 11 मार्च 2022
5. शोधगंगा, शोधगंगोत्री, शोध पत्र
6. सयुक्त अक, जनवरी दिसम्बर, लोकतन्त्र समीक्षा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता
7. एक महिला सशक्तिकरण हेतुः विविध योजनाएँ प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी, मार्च 2022
8. यू.पी. चुनाव आयोग की वैबसाईट के आँकड़ें 2017 से 2022 तक
9. डॉ. दयाल गुप्तः कमलेश नारी वरदान या अभिशाप, किताब घर दिल्ली।
10. तिवारी आर.पी. (1998) भारतीय नारी : वर्तमान समस्या एवं समाधान, नई दिल्ली।

AN OVERVIEW OF THE MAINTENACE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007 WITH SPECIAL REFERENCE TO THE RIGHTS OF SENIOR CITIZENS

*Dr. Shamsher Singh
**Mr. Ranit Singh

INTRODUCTION

Human rights are privileges innate to all human beings, irrespective of their nationality, place of residence, sex, colour, religion, language, or any other status.[1] *'Any other status'* definitely includes *age* also. Hence, it will not be wrong to say that these privileges are equally accessible for the elderly population. In this researcher paper, the researcher had thoroughly evaluated the provisions of *the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, (MWPSCA) 2007*. Moreover, researcher has also submitted suggestions, which may be helpful for evolving the future policy for the welfare of senior citizens.

Number of occasions, the question of ageing was debated at the platform of United Nations, Particularly United Nations General Assembly through its resolution 46/91 of 16 December 1991, motivates member states to incorporate the certain principles for achieving the fundamental human rights of elderly population especially in developing nations.[2]

AN OVERVIEW OF MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007 (herein after called MWPSCA)

Legislations like *Criminal Procedure Code*, 1873, *Indian Penal Code,* 1860, *the Hindu Adaption and Maintenance Act*, 1956, t*he Code of Criminal Procedure*, 1973; *the Pension Act,* 1871; the *Income Tax Act,* 2014 etc. provides various conveniences and special considerations to elderly population. In addition to this, Indian Constitution is providing shield to the elderly population under Part-IV.[3] However, in the present paper, researcher will merely focus on the provisions of MWPSCA, 2007.

Summary of Provisions

This Act was passed with the objective *"to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto".* For the maintenance of parents and senior citizens, MWPSCA provides that "*a senior citizen including parents who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be*

entitled to make an application under Section 5 in case of-[4]

i) parent or grandparent, against one or more of his children not being a minor,

ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in clause (g) of Section 2".

An application for the maintenance of senior citizens under MWPSCA can be made before the Tribunal and tribunal before hearing an application under Section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.[5] Apart from that, if Tribunal is satisfied that *"If children or relatives, as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen being unable to maintain himself, then Tribunal may order such children or relatives to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen".*[6] The maximum maintenance allowance ordered by the Tribunal shall not exceed ten thousand rupees per month[7] and may along with simple interest not less than 5%.[8] If any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal.[9]

Keeping in view the welfare of senior citizens, the State Government shall designate the District Social Welfare or an officer not below the rank of a District Social Welfare Officer, by whatever name called as Maintenance Officer.[10] One of the important task of Maintenance Officer is that he shall represent a parent if he so desires, during the proceedings of the Tribunal, or the Appellate Tribunal, as the case may be.[11] Moreover, State Government may establish and maintain adequate number of oldage homes at accessible places, beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of one hundred fifty senior citizens who are indigent.[12]

As far as the medical care of aged population is concerned, State Government under the MWPSCA shall ensure that the Government hospital or hospitals funded fully or partially by the Government shall provide beds for all senior citizens as far as possible.[13] Moreover, separate queues be arranged for senior citizens[14] and facility for treatment of chronic, terminal and degenerative diseases is expanded for senior citizens.[15]

For creating awareness regarding MWPSCA, the State Government shall ensure that the provisions of the Act are given wide publicity through public media

including the television, radio and the print, at regular intervals[16] and given periodic sensitization and awareness training to the concerned officials.[17]

For the preservation of the senior citizens, Act further provides that whoever, having the care or protection of senior citizen leaves, such senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or fine which may extend to five thousands rupees or with both.[18]

NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS (NPOP), 1999

In addition to constitutional and legal provisions concerning the well-being of senior citizens, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India has also sanctioned *National Policy on Older Persons (NPOP),* 1999. It aims to strengthen their legitimate place in society and help older persons to live the last phase of their life with purpose, dignity and peace.[19]

NATIONAL ACTION PLAN FOR WELFARE OF SENIOR CITIZENS (NAPSrC)

Recently in April 2020, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment has prepared an umbrella scheme for senior citizens i.e. *National Action Plan for Welfare of Senior Citizens (*NAPSrC). This Plan takes care of the top four needs of the senior citizens viz[20]

- *Financial security*
- *Food, health care*
- *and human interaction /life of dignity*

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

From the above discussed facts, it is very much clear that endeavours for the well being of senior citizens at international and national levels are really good. As United Nations General Assembly through resolution no. 46/11 of 16th December, 1991 played a praiseworthy role for the liberty, involvement, care, self-fulfillment and self-respect of senior citizens. Moreover, MWPSCA, 2007 is also proving very fruitful for the maintenance and welfare of aged population. MWPSC (Amendment) Bill 2019 is another positive attempt on the part of Parliament of India to achieve the objectives of 2007 Act. But, if we see the other side of the picture, then it cannot be denied that, despite the efforts of United Nations and Parliament of India for improving the state of aged population, still in India, large numbers of senior citizens are suffering from number of dilemmas.

Increasing old age homes, social isolation, feeling of powerlessness, inferiority emotion, hopelessness, worthlessness etc. are some examples of the above said fact. If Parliament and Government of India really wishes to improve the conditions of senior citizens, then they must strictly implement the laws. For the stringent implementation of the MWPSCA, it is submitted that punishment mentioned in the Act is inadequate. Hence, it is suggested that imprisonment mentioned under Section 24 of the Act must be enhanced from three months to one year and fine should be at least Rupees 50,000/- or with both.

In the nutshell, it is submitted that dire necessity of time is that we all must inculcate good values among our self as well as in our children's, so that present and upcoming generation would able to understand the importance of senior citizens. After all, they are assets and they spent their whole life for the betterment of his/her family and of course for the advancement of nation too.

*Assistant Professor, Department of Laws, Guru Nanak Dev University Regional Campus, Hardochhani Road, Gurdaspur-143521 (Punjab) India.

Mob. 8146377998

1. www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx, accessed on 11.8.2020 at 8.21 p.m.

2. *See*;http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1991/169.pdf, accessed on 12.8.2020 at 1.40 p.m.

3. Article 39(e) and Article 41.

4. Section 4(1) of the MWPSCA *2007.*

5. Section 6(6) of the MWPSCA*, 2007.*

6. Section 9(1) of the MWPSCA *2007*

7. Section 9(2) of the MWPSCA *2007.*

8. Section 14 of the MWPSCA *2007.*

9. Section 16(1) of the MWPSCA *2007.*

10. Section 18(1) of the MWPSCA *2007.*

11. Section 18(2) of the MWPSCA *2007.*

12. Section 19 (1) of the MWPSCA *2007.*

13. Section 20 (i) of the MWPSCA *2007.*

14. Section 20(ii) of the MWPSCA *2007.*

15. Section 20 (iii) of the MWPSCA *2007.*

16. Section 21 (i) of the MWPSCA *2007.*

17. Section 21 (ii) of the MWPSCA *2007.*

18. Section 24 of the MWPSCA *2007*

19. National Policy for Older persons, 1999, published and managed Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi. (See;http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/National%20Policy%20for%20Older%20Persons%20Year%201999.pdf, visited on 12.08.2020 at 4.04 p.m.

20. National Action Plan for Welfare of Senior Citizens (NAPSrC) w.e.f. 1.04.2020 (See; http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NAPSrC.pdf, visited on 12.8.2020 at 4.18 p.m.

आधुनिक समाज में लोकगीतों की प्रासंगिकता

– डॉ. ईशा कपूर

प्रस्तावना – लोक साहित्य किसी भी समाज और संस्कृति की धरोहर होता है। भारतीय लोक साहित्य इसलिए हमारे समाज और संस्कृति का आधार है। भारत संस्कृति की विविधताओं से भरा देश है। विविध संस्कृति के मिश्रण से भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति एक जीवंत प्रक्रिया है, जो लोक में ही उत्पन्न होती है और समूचे लोकजन को संस्कारित करती है, इसे ही लोक संस्कृति कहते है। जिसमे लोकजन के आदर्श, नैतिक मूल्य, रीति–रिवाज आदि समाहित होते हैं। रीति–रिवाजों और संस्कृति के माध्यम से लोक साहित्य पीढ़ी–दर–पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ रहा है। लोक साहित्य के सृजन के कोई खास नियम नहीं होते हैं। उसकी रचना प्रक्रिया के कोई व्याकरणिक नियम नहीं होते है। लोकजन के चित्त से जो चीजे सीधे उत्पन्न होती है, वही आगे चलकर लोक साहित्य, लोकशिल्प, लोकनाट्य, लोक कथानक आदि नामों से जानी जाती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है ठीक उसी तरह लोक साहित्य भी लोक संस्कृति का दर्पण होता है। लोक साहित्य लोकजन के जीवन के तमाम पहलुओं को प्रस्तुत करता है।

लोक साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने अपने–अपने मतों के अनुसार समझाने की चेष्टा की है। लोक शब्द का व्यापक प्रयोग उस लोकजन के लिए किया जाता है जो शहरों की चकाचौंध से कोसो दूर, जो भौतिक दिखावे से दूर होते है। यह लोकजन समाज का वह वर्ग है जो शास्त्रीयता, अहंकार एवं अभिजात्य संस्कार की चेतना से शून्य है। डॉ. कृष्णदेव इस सन्दर्भ में कहते है कि "आधुनिक सभ्यता से दूर, अपनी सहज तथा प्राकृतिक अवस्था में वर्तमान, तथाकथित असभ्य एवं अशिक्षित जनता को 'लोक' कहते है, जिनका जीवन दर्शन और रहन–सहन प्राचीन परम्पराओं, विश्वासों तथा आस्थाओं द्वारा परिचालित एवं नियंत्रित होता है 'यह अपनी एक ही परम्परा और संस्कृति के प्रवाह में जीवित रहते हैं. प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक 'लोक' शब्द का प्रयोग निरंतर समान अर्थों में प्रयोग होता आ रहा है। 'लोक' शब्द का प्रयोग लोक कल्याण के संदर्भ में किया जाता है पर जैसे ही 'लोक शब्द' के 'साहित्य' से जुड़ जाता है तो उसका अर्थ लोक–साहित्य अथार्त लोक का साहित्य हो जाता है। लोक साहित्य का अर्थ उस साहित्य से होता है जिसका सृजन लोकजन के द्वारा किया जाता है, लोकजन के रहने खाने, हँसने–रोने तथा खेलने की जो भाषा होती है या जो शब्द होते है उसे लोक साहित्य कहते है। इस तरह लोक साहित्य की महत्ता मानव जीवन में आरंभ से लेकर अंत तक तथा समाज के स्त्री–पुरुष सभी लोग सम्मिलित रहते है। डॉ. अमरसिंह विधान के अनुसार "स्वीकार यह भी किया जाना चाहिए कि विश्व की सभी भाषाओं के साहित्य का प्राचीनतम रूप उसका लोक साहित्य ही है, जिसमें उस समाज विशेष की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, रीती–रिवाज जीवन शैली, इतिहास, मानव–मनोविज्ञान, जीवनानुभव, संचित ज्ञान, लोकरंजन और अनेकों शाश्वत तत्व विद्यमान रहते है (भारतीय लोक साहित्य, संपादक–डॉ. अमरसिंह वधान, डॉ. सुनीता शर्मा, अभिषेक प्रकाशन नई दिल्ली, 2020, प्रथम संस्करण भूमिका से)

किसी भी समाज का अध्ययन करने के लिए व्यापक सामग्री वहाँ के लोक साहित्य में उपलब्ध रहती है। किसी भी समाज में जीवन की तलाश हमें प्राचीनतम साहित्य की खान तक ले जाती है. मिथिला लोक साहित्य के विषय में भी यही सत्य चरितार्थ है क्योंकि इसकी प्राचीनता और इसके लोक साहित्य की व्यापकता मानव इतिहास के पृष्ठ पलटने पर विवश करती है।

बिहार के बड़े हिस्से में मैथिलि भाषा का बोलबाला

रहा, मैथिलि के साथ सबसे अच्छी बात यह रही कि मैथिलि के विद्वानों एवं ब्राहमणों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत के साथ–साथ मैथिलि को भी बनाया। यूँ तो मिथिला में संस्कृत का मान कम नहीं था परन्तु फिर भी मैथिलि में भी खूब साहित्य लिखा गया, यही कारण है कि मिथिला में लिखित रूप में प्राचीन साहित्य मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी और अन्य भाषाओं के विद्वानों ने खुद को संस्कृत तक ही सीमित रखा। साहित्य लेखन के क्षेत्र में अपनी भाषा और बोली की अवेहलना की। मैथिलि लोक साहित्य में मिथिला के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध आयाम देखने को मिलते हैं। उसमे मिथिला के लोक– जीवन के सुख–दुःख हैं, गीत, काव्य, कथा, कहावत, मुहावरा, पहेली आदि मिथिला लोक–साहित्य में उसके विविध विधाओं में देखने को मिलता है। यह बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में बोली जाती है और मैथिलि की कुछ उपभाषाएं तथा बोलियाँ है जो बिहार के कई क्षेत्रों में बोली जाती है जो निम्नलिखित है– (मैथली साहित्य : श्री बैजनाथ सिंह, पेज–24)

लोकगीत अपनी संस्कृति तथा परंपरा के वाहक रहे हैं। आज आधुनिक समय में मिथिला के लोकगीतों ने अपने समाज को विशिष्ट बनाया है। आज भी मिथिलांचल में लोकगीत अपने समाज में मुख्य भूमिका निभा रहे है, कोई भी शुभ अवसर आता है तो महिलाएं आज भी लोकगीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति तथा रीती–रिवाजों को प्रस्तुत करती है तथा उसे सफल बनाती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :–

(क) शक्ति की उपासना

मिथिला समाज में भी शक्ति की पूजा खूब हर्षोल्लास से की जाती है। शाक्त धर्म की उत्पति शैव धर्म से ही मानी जाती है. "शक्ति साहित्य में तंत्र–मन्त्र, जादू – टोना का निर्देशन किया गया है और उस पर बौद्धधर्म की छाप पड़ी है। शाक्तधर्म में योग का पुट था जिसे बौद्ध धर्म स्वीकार न कर सका। फलस्वरूप बौद्ध धर्म मिश्रित शक्ति साहित्य चल पड़ा। उसे कामख्या (असम), काली (कलकत्ता), पशुपतिनाथ (नेपाल) और जगन्नाथ (उड़ीसा) से विशेष प्रेरणा मिली।

मिथिला में कामदानाथ तथा दुर्गा मंदिर उच्चेट में (जरैल, बेनीपट्टी) चामुंडा स्थान कटरा में, भद्रकालिका कोइलख में (लोहट) जयमंगला रजौर में उग्रतारा स्थान महिंसी में स्थापित है। इन मन्दिरों में शक्ति की पूजा होती है. कहीं–कहीं दशहरे के अवसर पर दुर्गा की प्रतिमा बनायी जाती है। कई दिनों तक मेला लगता है। कुछ लोग शक्ति मन्त्र मात्रिका पूजा में ही सीखते हैं और सांप आदि के मन्त्र भी। मिथिला में बालकों को अक्षराभ्यास के समय शक्ति–स्तवन सिखाया जाता है –

साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी, उग्रेण
तपसा लाब्धोय्या पशुपति : पति !!
– गंगानाथ झा : कवि रहस्य पृष्ठ–10

विद्यापति ने शैव धर्म और वैष्णव दोनों धर्मों के सम्मान के रूप में यह भाव व्यक्त किया है :–

भलहर , मलहरि भल तुम कला !
खन पित बसन खनहि बघछला!

समाज में हर धर्म और सम्प्रदाय का अपना एक पवित्र चिन्ह होता है। मिथिला समाज में भी मिथिला का कोई जन जब अपनी देह पर भस्म लगाता है तो उससे शैव धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है और रक्त चन्दन के लेपन से शाक्त धर्म के प्रति आस्था का भाव प्रकट होता है। श्रीखण्ड चन्दन के लेपन से वैष्णव धर्म के प्रति आस्था जान पड़ती है। एक ही व्यक्ति इस प्रकार अपने शरीर पर तीनों प्रतीक चिन्हों को लगाता है तो तीनों धर्मों के प्रति अपनी अगाध भक्ति प्रकट कर समानता की ओर संकेत करता है। हमारे जीवन को भौतिक साधन सम्पन्नता के अतिरिक्त जो चीजें परिष्कृत और परिमार्जित करती हैं वे ही संस्कृति की परिचायिका हैं।

मिथिला के मछुआरे तो नदियों की, तालाबों की पूजा करते है, उनकी रोजी–रोटी इन पर ही निर्भर करती है। वट–सावित्री का उपवास और पूजा भी प्रकृति के प्रति एक आस्था का भाव प्रकट करता है

उसमे यह मैथिलि गीत गाया जाता है –

घर–घर नारि हँकारल, सजनि गे ! आदर से संग गेली,
आइथिक बरसाइत, सजनि गे ! तें आकुल सब भेलि !
घुमड़ी–घुमड़ी ठारल, सजनी गे, बांटत अछत सुपारि!
फतुरलाल देता आसिस, सजनि गे ! जीवथू दूल्हा दुलारी
(राम इकबाल सिंह 'राकेश' : मैथिलि लोकगीत. पृष्ठ–270)

(ख) फाग–उत्तर भारत का सबसे प्रचलित त्यौहार है। यह धूमधाम और मस्ती के साथ मनाया जाता है। यह फागुन महीने में बनाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। मस्ती से भरा यह मिथिला फाग देखिये.

नकबेसर कागा ले भागा,
सइयां अभागा ना जागा !
नकबेसर कागा ले भागा,
उड़ी– उड़ी काग कदम चढ़ी बइसल
जोबना के रस ले भागा

(ग) कर्तव्य और सादा जीवन – मिथिला के लोकगीतों में लोगो का तप और सेवा भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। मिथिला के लोगों की जीवनशैली उतनी तड़क–भड़क भरी नहीं है वे लोग साधारण जीवनयापन करते है। हाँ स्त्रियाँ अधिक उपवास और पूजा अर्चना करती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि –

कोकटी धोती, पटुआ साग, तिरहुत गीत भरल अनुराग!
भाव भरल तन तरुणी रूप, एतवे तिरहुत होइछ अनूप

मिथिला की सामाजिकता में पाग (पगड़ी) की अपनी एक पहचान है तथा उसकी प्रधानता है। हर बुजर्ग की इतनी ही चाहत होती है कि बुढ़ापे में माथे पर पग रहे, कंधे पर चादर और बीएस हाथ में छड़ी रहे. बीएस इतनी ही इच्छा होती है। इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कविवर चंदा झा ने शिव से निवेदन किया है कि–

समुंद – समुन्द्र शिव सिर जट, अछि लटपट
पहिरायएब कोना पाग, घुनडिहुक संघट
चंदा झा यहाँ शिव से कह रहे है कि अपनी जटाओं को थोड़ा समेट लें ताकि पग को आराम से पहना जा सके. अतः पग की यहाँ बहुत महत्वता है –

(घ) सोहर – हर समाज में बच्चों के पैदा होने पर उत्सव बनाया जाता है। उत्तर भारत की लगभग हर बोली और भाषा में संतान पैदा होने पर सोहर गाया जाता है। मिथिला समाज में भी घर में बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। मिथिला के सोहर वात्सल्य रस से इतने भरे होते है कि बच्चे के प्रति पैदा होने वाले हर भाव को प्रकट कर देते है। मिथिला का सोहर आज अपने समाज से निकलकर एक अलग पहचान बनाने में इसलिए ही सफल हुआ है क्योंकि मैथिलि लोकगीतों में सोहर की छाप बाकि लोकगीतों से बिलकुल अलग हैं।

हे ननदी कहाँ लागि गेल सगुनमा हे ननदी
जाहि दिन सँ जनमल कृष्ण कन्हैया, ताहि दिन सँ कयल सगुनमा
माँग केर मनटिक्का लियऽ हे ननदो
छोड़ि दियऽ जड़ाउ कंगनमा
नहि लेब आहे भाभी माँगक मनटिक्का,
लेब मे जड़ाउ कंगनमा
परदाक भीतर भाभी ढुकहु ने देब,
तँ देखहु ने देब तोरा ललना
हे ननदी कहाँ लागि गेल सगुनमा...

निष्कर्ष

21वीं सदी आधुनिक सदी है जहाँ मनोरंजन के रोज नये : आज भी पैदा होने से लेकर मरने तक हर त्यौहार और पर्व पर मैथिलि के सभी लोकगीतों को गाकर उसको पूरा किया जाता है। मैथिलि लोकगीतों के जिंदा रहने का और आज भी अपने समाज में बने रहने का पूरा श्रेय महिलाओं को ही जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा की मिथिलांचल की पूरी संस्कृति और परम्परा ही महिलाओं की वजह से जिन्दा है। आगे भी इसी तरह जिंदा रहेगी क्योंकि आधुनिकता के आने के बाद भी और मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएँ होने के बाद भी मिथिला के लोग अपनी बोली पर अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। मिथिला लोक साहित्य में

यही लोकगीतों की जीवटता है, जो उन्होंने आज भी खुद प्रासंगिक बना रखा है। मिथिला में से लोकगीत निकाल दें तो बस फिर लोक ही बचेगा जो कि नीरस ही होगा।

मोबा. 9370718949

संदर्भः–

1. दास, श्री कृष्ण (1956) लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या। साहित्य भवन, लिमटेड : इलाहाबाद
2. राकेश, सिंह रामइकबाल. (19955). मैथिलि लोकगीत (द्वितीय संस्करण). हिंदी साहित्य सम्मेलन : प्रयाग
3. परमार, श्याम. (19954). भारतीय लोक साहित्य. राजकमल प्रकाशन : दिल्ली
4. उपाध्याय, कृष्णदेव. (2000). भोजपुरी ग्राम गीत. हिंदी साहित्य सम्मेलनरूप्रयाग
5. श्रीवास्तव, रामकिशोरी. (1946). हिंदी – लोकगीत। साहित्य भवन लिमटेड : इलाहाबाद
6. सत्येन्द्र. (1962). लोक–साहित्य विज्ञान. शिवलाल अग्रवाल एंड संस : आगरा

परदेशी राम वर्मा की 'जतन' कहानी संकलन में सामाजिक जागृति

– कमल कुमार बोदले (शोधार्थी)

कहानीकार परदेशी राम वर्मा के व्यक्तित्व में कई आत्माएं समाहित है, जो अवसर पाकर प्रकट हो जाती है। ऐसी ही एक आत्मा सैनिक की भी है, जो हर वक्त, हर जगह त्याग, समर्पण, लगन, अनुशासन को चरितार्थ देखना चाहती है। शोषण, कुरीति, आडंबर आदि का बिंब–प्रतिबिंब आरेखन परदेशी राम वर्मा की कहानियों की उल्लेखनीय विशेषता है, जिसमें अतीत और वर्तमान के बीच की आभासी दूरी पटती हुई प्रतीत होती है। इन्हीं बातों को रेखांकित करने का प्रयास 'जतन' कहानी संकलन में किया गया है।

प्रोफेसर चितरंजन कर 'जतन' कहानी संकलन के विषय में लिखते है–''परदेशी राम वर्मा के 'जतन' की प्रत्येक कहानी में छत्तीसगढ़ के गावों के उत्थान का सपना है और उस सपने को सच करने का हौसला भी गांव में विद्यमान है। कड़वा यथार्थ ही उनकी कहानियों का विषय है।''[1]

''जतन'' कहानी संग्रह में कुल 10 कहानियाँ है। इन कहानियों के माध्यम से आलोच्य कहानीकार ने सामाजिक जागृति का उल्लेखनीय प्रयास किया है। पहली कहानी का शीर्षक 'भंदई' है। जिसका अर्थ जूता होता है, जो गांव के मेहर जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। जिसमें चमड़े के अलावा कुछ और तत्व नहीं होता। यह प्राचीन ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। जिसे नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इस षडयंत्र का पर्दाफाश जगत राम द्वारा किया जाता है।

''कका, ये हां राजनीति ये गा, तयं नई समझस। वो हा भंदई माने छत्तीसगढ़ के राजनीति करत हे, हम करबो गाय के राजनीति। जीयत गाय के हमला जरूरत हे, मरे के बाद ओकर काम के होही।''[2]

''कोनो जियत गाय के राजनीति करत हे, कोनो मरे चाम के। मुस्कल हमर हे, न हमर करा गाय हे न भंदई। जियत गाय और मरे चाम दुनो तुंहरे काम के हे, मालिक। हम मन तो सबो डाहर ले भोसा गेन।''[3]

'पच्चीस के भाव' कहानी पुराने मालगुजारी प्रथा के खोखलेपन को उजागर करती है। मालगुजारों के वंशज आज भी डरा धमका के और पैसे के बल पर ग्रामीणों का शोषण करने से नहीं चुकते। इस कहानी में बेमेल विवाह की विकृतियों को भी रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि बेमेल विवाह सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। पैसे के बल पर नौकर से अनैतिक कार्य करवाने का षडयंत्र किया जाता है जो सफल नहीं हो पाता।

'जतन' नामक कहानी रायपुर के जतन अली को केंद्रित करके लिखी गई है। जिसको गांव में राजनीति करने के लिये शहर से दाऊ द्वारा लाया जाता है। दाऊ सरपंच पद का उम्मीदवार है। वह चुनाव जीतने के लिये योजना बनाकर जतन अली को बुलाता है, जिसे मजदूरों का नेता भांप जाता है। वह क्षेत्रीय मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी का अनुयायी है, जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि वह मजदूरों का हितैषी है।

'जतन' कहानी गांव के लोगों में विचारों की आग लगाने अर्थात वैचारिक जागृति के उद्देश्य को चरितार्थ करती है। इस वैचारिक जागृति से अंधविश्वास, डर और अज्ञानता का नाश हो जाता है। रमेसर कहता है– ''भाई जी, आगी लगाय म आगी लाग जथे। विचार के आगी लग जाये ते बहुत हे। हमर जनम–जनम के अंधविश्वास, डर, अज्ञान के कचरा जर जाय बहुत हे। बस आप सब तियार राहव, काली हमू सब जाबो सरपंच के फारम भरे बर।''[4]

धर्म का सहारा लेकर राजनीति की रोटी सेंकने वालों पर प्रहार करना भी 'जतन' कहानी का उद्देश्य है। ''आज तक दाऊ ल हमर खियाल नी अइस आज मजहब अऊ मस्जिद के बात उठगें। हम इहां मनखे मनखे ल मान सगा भाई के समान यहां सिद्धांत जऊन सब मजहब म हे। उही ल हमर छत्तीसगढ़ के संत गुरू बाबा घासीदास केहे हे। उही बात ल मोहम्मद साहब, इसू मसी सबो झन केहे हे। सब मिलजुल के रहना चाही। त तैं आय हस बैर कराय बर।''[5]

'बिरसपत के बिरस्पत' कहानी गावों में फैले अंधविश्वास की आड़ में फैल रही अकर्मण्यता को उजागर करने वाली कहानी है। रामू स्वयं निकम्मा है। वह अपनी पत्नी दुलारी को देवी–चढ़ने का स्वांग रचाकर भोले–भाले ग्रामीणों को बेवकूफ बनाकर चढ़ावे का रूपया–पैसा ऐंठता है। कहानी वर्मा जी ने अपनी युक्ति–कौशल से कथा–सूत्र को भली–भांति पिरोया है।

'झालर' कहानी के माध्यम से कहानीकार ने जुआ जैसे सामाजिक कुरीति को रेखांकित करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में फसल कटाई के पश्चात प्रतिवर्ष मड़ई–मेले का प्रचलन है। मड़इ वास्तव में संपन्नता का मेला है, परन्तु इसके पीछे कुछ कुरीतियॉ भी जन्म ले लेती है। जैसे खड़खड़िया। जो जुआ का ही एक रूप है। रामा के खड़खड़िया के बारे में पूछने पर मंडल कहता है –''खड़खड़िया वाला पैसा देथे बाबू। तब मड़ई करवाथे सरपंच जी हा। माने के खड़खड़िया जुवा के पैसा म लगथे। अब छत्तीसगढ़ के गांव मन में मड़ई मेला। का करबे। रामा किहिस– इही ह तरक्की ये सियान। तुमन सिगरेट छोड़ के का तरक्की करहू। शराब, सिगरेट, जुवा चित्ती वाला मन के पइसा म होथे चकाचक। दुकानदार मन तो चलावत हें हमला–तोला।''[6]

'हमला तंय झन भरमा जी' कहानी के माध्यम से कहानीकार ने अपने लोग और अपनी धरती के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कहानीकार ने छत्तीसगढ़ के लोगो की अध्यधिक भोलापन और अंधविश्वास पर कटाक्ष किया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के भोलेपन का फायदा बाहरी प्रदेश के लोग उठाते है। ये लोग बड़ी ही चतुराई से उच्च पदों को हथिया कर अपना हित साधने शरणार्थी के रूप में आया सुगनामल चालाकी करके धनवान और उपसरपंच बन जाता है। इलाहाबादी रामफल अपनी गुंडई के बल पर सरपंच बन जाता है और अपने फायदे के लिये कार्य करता है। अपने लोगों पर भरोसा न करके बाहरी लोगां पर भरोसा करने का जो परिणाम होता है, उसी पर कहानीकार का चिंतन और मनन है।

'मरिया' कहानी में मृतक–संस्कार के नाम पर होने वाले अनावश्यक अपव्यय को रेखांकित करने का प्रयास

किया गया है। जो एक किसान सिकुमार की तबाही का कारण बनता है। वह निर्धन है फिर भी सामाजिक कुरीति के कारण उसे मृतक–भोज कराना जरूरी है। सिकुमार बैठक में सबसे हाथ जोड़कर मृत्यु–भोज को बंद करने की विनती करता है किन्तु गांव के लोग नहीं मानते। सिकुमार को विवश होकर मृत्यु भोज के लिये अपना दो एकड़ जमीन बेचना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के किसान इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के कारण अधोपतन का शिकार होते जा रहें है।

''मरता क्या न करता। आखिर दो अक्कड़ खेत बेंचागे। खात खवई म सिरागे रूपिया। खेत गय त बइला ल घलो बेच दिस सिकुमार खेतिहार। किसान ले मजदूर होगे। बनिहार होगे।''[7]

'बात के मरम' कहानी में कहानीकार ने मंगलू के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं की सोई हुई चेतना को जगाने का उपक्रम किया है। बिसालिक महराज अपने भांजा मंगलू को समझाता है कि बिना बल के यदि तुम ललकारोगे तो हार जाओगे। तुम बिना सोचे, दूसरे की बात मानकर नेतागिरी करने वाले छत्तीसगढ़िया की तरह मत करो। सिर्फ मोटी–मोटी पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, उसे सोचना और समझना पड़ता है।

'सइयां के खेती भइया के नांव' कहानी एक महिला की चतुराई पर आधारित रोचक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकर ने नारियों के लिये एक उद्धवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि एक नारी बिगड़ती हुई बात को अपनी चतुराई से बना लेती है। जैसे इस कहानी में सुसिल्ला गौटनिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से आसन्न संकट को रामायण के प्रसंगो से जोड़कर अपने मायके गांव के ब्राम्हण भाईयों की रक्षा की, जो नाम मात्र के ब्राम्हण थे वस्तुतः वे अत्यधिक मूर्ख थे।

इस संकलन की अंतिम कहानी 'थपरा' छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान पर केंद्रित रोचक कहानी है। 'थपरा' का अर्थ थप्पड़ होता है। आलोच्य कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सोई हुई स्वाभिमान को झकझोर कर जगाने का प्रयत्न किया है।

''देखो, जंगल विभाग में रीवाड़ी भर गये कि नहीं, केरलियन लोग आफिस और मेडिकल में। सब नर्स वहीं के हैं और शिक्षा विभाग में यू.पी. वाले न आते तो यहां पढ़ाई का हो जाता बंठाढार। टेलीफोन में मराठी, बिजली विभाग कारखाने में बंगाली, पंजाबी, तुम लोग बस लाठी चला रहे हो।''[8]

निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि इस संकलन की अधिकांश कहानियों के पात्र या तो साहित्यकार है या फिर साहित्य प्रेमी है। संकलन में एक बात उभर कर आती है वह है, साहित्यकार का दायित्व। जो देश दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय है। वर्मा जी ने अपने संकलन में शोषण के विरोध के साथ–साथ आडंबर, कुरीति के विरूद्ध भी आवाज उठाई है। ये कहानियां यथार्थ चित्रण के साथ एक सकरात्मक सोच भी देती है और प्रकारान्तर से यह संदेश भी देती है कि साहित्यकार का दायित्व देश और समाज के आम लोगों से अधिक होता है।

शोधार्थी
शास. वि. या. ता. स्नात.
स्वाशासी महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)
मोबा. 88395 74191

संदर्भः–

1. वर्मा परदेशीराम, जतन वैभव प्रकाशन रायपुर, पृ.क्र. 05
2. वही पृ.क्र. 18
3. वही पृ.क्र. 19
4. वही पृ.क्र. 33
5. वही पृ.क्र. 33
6. वही पृ.क्र. 49
7. वही पृ.क्र. 64, 65
8. वही पृ.क्र. 90

आधार सामाग्री – विवेच्य कहानी संकलन के पात्र, देशकाल और वातावरण।

रत्नकुमार सांभरिया के वीमा नाटक में व्याप्त दलित चेतना

– सतीश शामराव मिराशे

साहित्य मात्र समाज को निर्मित ही नहीं करता है, बल्कि उसके विकास में भी अपनी भूमिका अदा करता है। लेखक समाज में रहते हुए समाज की समस्याओं को देख समझ और अनुभव कर उसकी अभिव्यक्ति वह लेखन के माध्यम से समाज के सामने प्रकट करता है। प्राचीन काल से ही शुद्रों को हीन, नीच, अस्पृश्य, शुद्र कहकर उन्हें शिक्षा से दूर किया गया। प्राचीन काल में गौतम बुदध, वर्धमान महावीर ने मध्यकाल में संत नामदेव, संत तुकाराम, नानक, कबीर, रैदास ने तो वही आधुनिक काल में छत्रपती शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इन्होंने हो रहे अन्याय–अत्याचार का खुलकर विरोध किया। दलित साहित्यकार श्योराज सिंह बैचेन के अनुसार 'दलित' शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1910 में स्वामी अच्छूतानंद हरिहर ने किया था। वही बाबासाहेब आंबेडकर ने दलित शब्द का प्रयोग नवम्बर 1928 में अपनी 'बहिष्कृत भारत' नामक पत्रिका में किया था।

दलित शब्द का अर्थ है, जिसका दलन या उत्पीडन किया गया हो। विभिन्न शब्द कोशों में दलित शब्द का अर्थ है, ''कुचलाया गया, दबाया गया, मसला हुआ, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ। खण्डित विनष्ट किया हुआ हैं।''[1] जिसे पग–पग अस्पृश्य कहकर अपमानित किया गया है। जिसे शिक्षा, सत्ता, संपत्ती से बेदखल किया गया हो। विभिन्न विदवानों ने दलित शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, दलित शब्द का व्यापक अर्थ स्वीकार करने वाले साहित्यकार शरणकुमार लिम्बाले के मत से," दलित केवल हरिजन और नवबौध्द नहीं, गाँव की सीमा के बाहर रहनेवाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन, खेत मजदूर, श्रमिक, कष्टकारी जनता और यायावर जातियाँ सभी की सभी दलित शब्द की परिभाषा में आती हैं। दलित शब्द की परिभाषा में केवल अछूत जाति का उल्लेख करने से नहीं चलेगा, इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए लोगों का भी समावेश करना होगा।[2]

उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि, दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य कहलाता है। दलित साहित्य का लेखन सबसे पहले मराठी भाषाओं में हुआ जिनमें नामदेव ढसाळ, बाबूराव बागूल, दया पवार, शरणकुमार लिम्बाले आदि ने दलित साहित्य लिखा तो वहीं हिंदी में दलित साहित्य लेखन की शुरूआत बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई जिनमें भी आत्मकथाएँ, कविताएँ और नाटक आदि प्रमुख रूपसें कहे जा सकते हैंस हिंदी साहित्य में जो दलित साहित्यकार है जिनमें डॉ. भगवानदास, मोहनदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मिकि, सुशीला टाकभौरे, दया पवार, कौशल्या बसंती, सूरजपाल चौहान आदि प्रमुख हैं।

हिंदी साहित्य में नाटय विधा सबसे अचर्चित विधा रही है। हिंदी नाटय विधा में सबसे पहले दलित जीवन को स्वामी अच्छूतानंद हरिहर ने 1926 में अपने नाटक 'रामराज्य न्याय' में सबसे पहले दलित जीवन को प्रस्तुत किया है। रत्नकुमार सांभरिया कथाकार के रूप में सर्वपरिचित है। साथ ही उन्होंने नाटक भी लिखे है। उन्होंने उजास (2014), और वीमा (2014) यह नाटक भी लिखे है। दलित नाटकों में इन नाटकों की खूब चर्चा हुई। उन्होंने ही पहली बार निःशक्तजन के साथ –साथ दलितों के प्रश्नों को भी उठाया है। दलित विमर्श और दिव्यांग विमर्श का संयोग इन्होने अपने 'वीमा' नाटक में किया है। नाटक में अभिव्यक्त चेतना आंबेडकरी विचार का सार है क्योंकि दलित नाटककार रत्नकुमार सांभरिया ने आंबेडकर जी के शिक्षा, संघटन और संघर्ष के इस मूलमंत्र को केंद्र में रखकर प्रस्तुत नाटक की रचना की है। जिसमें विकलांगो के जीवन संघर्ष को अंकित किया है।

वीमा एक नेत्रहीन युवती जिसका नाम वीमा है। नेत्रहीन पुरूष जिसका नाम जमन वर्मा है जो दलित युवक है और विमा यह सवर्ण युवती है। दोनों में प्रेम की पवित्रता तथा आत्मसमर्पण, बुद्धि चातुर्य पाठक पर गहरा प्रभाव करता है। रत्नकुमार सांभरिया के नाटक के परिस्थिति के आगे गिडगिडाते (झुकते) नहीं बल्कि अनेक कमियों के बावजूद भी संघर्ष करते हुए अन्याय का विरोध कर अपनी अस्मिता का अहसास करा देते है। उनके इसी संघर्ष में दलित चेतना परिलक्षित दिखाई देती है। 'वीमा ' नाटक के जमन वर्मा नेत्रहीन होकर भी दृष्टिवान है और देवतसिंह विकलांग होकर भी आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था पर जो दबाव लाता है वह लोकतंत्र के लिए कारगर साबित होता है। नाटक में जमन वर्मा का वीमा के साथ अन्तर्जातीय विवाह करना और व्यवस्था से संघर्ष कर सफलता प्राप्त करना दलित चेतना का ही स्वर दिखाई देता है। उसका संघर्ष ही दलित चेतना का संघर्ष है।

'वीमा' यह नाटक पूर्वदीप्ती शैली में लिखा गया है, नाटक की शुरुआत ही वीमा के अपहरण से होती है जो एक सवर्ण नेत्रहीन युवती है जिसका विवाह एक दलित जाति के युवक जमन वर्मा के साथ होता है। रत्नकुमार सांभरिया के पात्र परिस्थिति के आगे गिडगिडाते नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हालात का सामना कर विजय प्राप्त करते है। उसके जुझारूपन में दलित चेतना परिलक्षित होती है। इस नाटक में भी वीमा के अपहरण के कारण दलितों का संघर्ष शुरू होता है, तो वही दूसरी और जमन वर्मा जो दलित युवक है इस अपहरण का विरोध करता है तो उसे नौकरी से बेदखल किया जाता है। जमन वर्मा पर अलग–अलग प्रकार के दबाव लाए जाते है, जिससे वह वीमा को तलाक दे उसे घर से भी बेदखल किया जाता है" शुक्र है अंधा है तू वरना तुझे यहीं दो कर देता तेरा सामान बाहर फेंकवा दिया है मैंने अपने बोरिया–बिस्तर समेट और भाग जा यहाँ से मेरी आँखो के सामने से दूर हो जा तुरंत और सुन वीमा वाहियात कलप है, उसका नाम जुबान पर मत लाना, आइंदा से। साँप को दूध पिला रहा था, मैं''[3] वह अपनी पत्नी को छुडवाने के लिए श्यामाजी के पास जाता है तब श्यामाजी उसे नीच जात का कहकर उसे बार–बार अपमानित करता रहता है जमन यह कहता है की, तुने वीमा से जात छुपाकर धोके से उसके साथ शादी कर ली है अब उसे तुम छोड दो और अपनी बिरादरी की किसी लडकी के साथ विवाह कर लो "हम सालो–साल उम्र भर, बिना धर्म जी सकते है, बिना जात एक पल भी नही रह सकते पक्षी भी अपनी हैसियत के मुताबिक पंख फडफडाता है, उडता है तुमने अपनी औकात का अतिक्रमण किया है, वर्मा''4 श्यामाजी इतने बडे पद पर होने के बावजूद भी उनमें जात–पात का कीड़ा अभी भी बाहर नहीं निकल रहा है वह और आका अपने व्यक्तिगत जीवन में जात–पात,छुआछुत से उपर उठ नहीं पाता हैस इस संदर्भ में जमन वर्मा ने उनकी पाखंडता पर कडा प्रहार करते हुए कहता हैं कि, तुमने मुझे अँधा, नीच जात का कहकर अपनी जात बता दी है, श्यामाजी आका और श्यामाजी दोनों की कथनी और करनी में अंतर है वे बातें तो परिवर्तन की करते है पर उनका व्यवहार बिल्कुल नीच किस्म का है उनकी इस नीति से जमन वर्मा अच्छी तरह से वाकिफ है।

जमन नेत्रहीन होकर भी निराश न होकर वह हर चुनौती को स्वीकार कर लेता है वह अपने अधिकार के प्रति सदैव सजग रहता है, वह जब श्यामाजी से वीमा के बारे में बात करता तो श्यामाजी जमन को धमकाता है –तब उनसे वह कहता है "श्यामाजी , कान खोल कर सुन लें आप वीमा को चौथा महीना है अगर मेरी बीवी और होने वाले बच्चे को कुछ हो गया, कठघरे मे होंगे आप''5 इस तरह वह अपनी जिम्मेदारियों के साथ–साथ अपने अधिकार के प्रति भी सजग है जमन और दैवतसिंह 'वीमा ' की गुमशुदा होने की खबर लिखवाने के लिए पुलिस थाने मे जाते है तब पहले तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से मना कर देते है पर बाद में रिपोर्ट लिखकर भी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते है, उल्टा श्यामाजी के कहने से जमन को ही

अंदर डालने की बात कर उन्हें वहा से बाहर कर देते हैं पुलिस केस न दर्ज करवाने के कारण देवतसिंह और जमन वर्मा दोनों दैनिक बाज के संवाददाता सी.सी. झा के पास जाते हैं, उन्हें घटना की पूरी आप बीती सुनाते है, झा उन्हें आश्वस्त कर देता है पर जमन वर्मा जो जागरूक युवक होने के कारण उन पर भरोसा नही करता है, वह कहता है, ''अखबार वाले आज कितने खरे है, मसल और मनी के सामने उनकी कलम बोथा है समीकरण सेतु हो रहे है, देवत''6 अखबार वाले जो की प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है उन पर जमन को भरोसा नहीं है, और ठीक उसी तरह सी.सी. झा भी श्यामाजी के पास जाकर रिश्वत लेता है और समाचार पत्र में जमन के खिलाफ खबर छाप देता है की, जमन ने ही वीमा को बहला फुसला कर घर ले आया उसके साथ ज्यादती की, बडे घर की, लडकियों को धमकी देकर शादी करना आदि बाते अखबार में छाप दी गई, और यह भी कहा गया कि लडकी अगर तलाक लेना चाहती है, तो जमन को कोई ऐतराज नही है।

न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद जमन हिंसा का मार्ग न अपनाकर अहिंसा के द्वारा अन्न त्याग कर अनशन करता है इस आंदोलन में सारे निःशक्तजन सम्मिलित हो जाते है, और निःशक्तजन संगठित शक्ति बन जाती है तब देवत कहता है, "लोहे की गेंद है लोहे की गेंद को न किक मारी जा सकती है, न उसे उछाला जा सकता है।''[7] इस तरह यह अनशन न रहकर एक विशाल आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, श्यामाजी जब अपने दप्तर आता हैं तब सारे आंदोलनकारी मुर्दाबाद–मुर्दाबाद के नारे लगाते है, आखिरकार, श्यामाजी और आका की हार होती है और जमन वर्मा को वीमा मिल जाती है। अंततः बड़े संघर्ष के बाद सच्चाई की जीत होती है।

'वीमा' नाटक में जाति भेद, छुआछुत, उच्चता–नीचता, धर्मांधता आदि पर कडा प्रहार किया है साथ ही नेताओं, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, पत्रकारों की दोगली नीति की पोल खोलने का काम भी यह नाटक करता हैं साथ ही निःशक्तजनों दिव्यांगो की समस्या का चित्रण भी इस नाटक में किया है।

जाति के कारण ही आज भी आए दिन दंगे, फसाद होते रहते है इन सब समस्याओं को अगर मिटाना है तो सरकार को नई–नई योजनाओं को लाना होगा साथ ही आंतर्जातिय विवाह को चालना देनी होगी। कडे कायदे–कानून बनाने होंगे, न सिर्फ बनाने होंगे बल्कि उस पर अमल भी करना होगा। समाज में और ज्यादा जागरूकता निर्माण करनी होगी। दलितों की मूल समस्याओं को जानकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करना होगा। धर्म, जात–पात के नाम पर नेता लोग जो आए दिन आम लोगों को भडकाने का काम करते है उन्हें भडकाऊ भाषण देणे से मना करना होगा समाज से सभी स्तर से जब तक जाति व्यवस्था, खत्म नहीं होगी तब तक दलितों पर अन्याय होते ही रहेंगेस यह सब रोकने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे, तभी सारी समस्याओं का समाधान होगा।

सतीश शामराव मिराशे
बळीराम पाटील महाविद्यालय किनवट
मोबा. 90111 68606

संदर्भः–

1. लघु हिंदी शब्द सागर–संपा. करूणापति त्रिपाठी–पृ. 43
2. दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र–शरणकुमार लिंम्बाले–पृ. 42
3. वीमा–रत्नकुमार सांभरिया, श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण–2020, पृ.21
4. वही–पृ.30
5. वही–पृ.21
6. वही–पृ.57
7. वही–पृ.77

हरियाणा की हिन्दी कविता में दलित

– राजेश कासनिया (शोधार्थी)

दलित अवधारणा

दलित शब्द का अर्थ – बृहत् हिंदी कोश के अनुसार दलित शब्द का अर्थ होता है – रौंदा हुआ, कुचला हुआ, दबाया हुआ, नष्ट किया हुआ, पदाक्रांत, हिंदुओं में वे शूद्र जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।[1]

दलित शब्द आधुनिक युग की देन अवश्य है, परंतु इससे पूर्व इन जातियों को अनार्य, बहिष्कृत, अछूत और अस्पृश्य कहा जाता था, तब भी इनका सामाजिक–सांस्कृतिक अस्तित्व पृथक ही था। समाज, साहित्य और परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन होता रहा है, उसी तरह दलितों की पहचान बदलती रही है, परंतु हर युग में उन्हें सवर्णों से संघर्ष करना पड़ता रहा है।[2]

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने दलित शब्द को नए रूप में व्याखायित किया है–"दलित शब्द दबाये गए, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित के अर्थों के साथ जब साहित्य में जुड़ता है तो विरोध और नकार की ओर संकेत करता है। वह नकार या विरोध चाहे व्यवस्था का हो, सामाजिक विसंगतियों या धार्मिक रूढ़ियों, आर्थिक विषमताओं का हो या भाषा–प्रांत के अलगाव का हो या साहित्यिक परंपराओं, मानदंडों, सौंदर्य शास्त्र का हो। दलित साहित्य नकार का साहित्य है, जो संघर्ष से उपजा है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता का भाव है और वर्ण व्यवस्था से उपजे जाति भेद का विरोध है।"[3]

कंवल भारती दलित साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं–'दलित साहित्य की संस्कृति में जहां मानव की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष है, दासता के विरुद्ध क्रांति का गान है, अन्याय और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर है, समता है, करुणा है, संवेदना है, अहिंसा है, वहीं वह विश्व–बंधुत्व की समर्थक परिधियों से मुक्ति चेतना की सर्जक है। यदि दलित साहित्य की संस्कृति को एक वाक्य में कहना हो तो वह वर्ण–व्यवस्था मुक्त जीवन पद्धति और असाम्राज्यवादी सत्ता का नाम है।[4]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दलित वर्गों ने मुख्यधारा में अपना स्थान देखना प्रारंभ किया और विद्रूपीकृत चेहरा देखकर दुख, क्षोभ व्यक्त किया। इस दुख, क्षोभ और संघर्ष की द्वंद्वात्मकता में दलित वर्ग जिसे विधि की भाषा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया है, इनके भावों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का साकार रूप जब सामने आया तो उसे 'दलित साहित्य' कहा गया।[5]

हरियाणा की हिंदी कविता में दलित

वर्ण व्यवस्था व ब्राह्मणवादी सोच ने दलितों को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक अधिकारों से वंचित कर दिया। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों में ऐसी संहिताओं का निर्माण किया जिससे दलितों को ज्ञान, सत्ता व संपति से दूर रखा जा सके। हिंदू धर्म ग्रंथों में उन्हें अस्पृश्य व अछूत कह कर उन्हें अपमानित किया गया। हरियाणा की हिंदी कविता में दलितों द्वारा भोगे इस संताप की अभिव्यक्ति ही नहीं है बल्कि इस व्यवस्था के प्रति खुला विद्रोह भी है।

कदाचित् भारतीय ग्रामीण समाज व्यवस्था वर्ण–व्यवस्था काल से ही दलितों के लिए कारागार जैसी रही है। वहां समता की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कृषि स्वामित्व वाली जातियां अथवा सवर्ण समाज उन्हें अपनी शर्तों पर गांव में रखना चाहता था। दलित उनके लिए पशु के समान भी ग्राह्य नहीं था और

दलित इस आजीवन कारावास से मुक्ति के लिए गांव छोड़ना चाहता है।[6]

गांव सभी जातियों के लिए एक जैसे नहीं होते। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय गांवों को दलित उत्पीड़न के यातना शिवरों की संज्ञा दी है। इसीलिए डॉ. अंबेडकर ने दलितों से गांव छोड़ने का आह्वान किया। क्योंकि गांवों में दलितों की पहचान उनकी कामयाबी से नहीं बल्कि उनकी जाति से होती है। जयपाल की कविता 'उसका गांव' गांव की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है –

जिस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही
कवि–लेखक–शिक्षक डॉ. चन्द्रप्रकाश
अचानक 'चंदा चमार' हो जाता है
वह उस गांव में क्या मुंह लेकर जाए....
वह गांव जाकर उस मंदिर को कैसे देखे
जिसके भीतर उसके बाप–दादा कभी पांव भी नहीं रख सके
वह उस खेत में कैसे जाए
जहां एक गठरी घास लेने पर
मानसिंह सरपंच ने उसके बाप को पचास जूते मारे थे
वह उस गन्ने के खेत पर कविता कैसे लिखे
जिसमें उसकी बहन गुम हुई थी
और आज तक वापिस नहीं आई.....।[7]

भारतीय समाज में वर्ण–व्यवस्था अभिशाप है, जो उच्च वर्ण के मनुष्य में अंहकार व श्रेष्ठता का दंभ पैदा करके उसकी मानवता को समाप्त कर देती है, तो दूसरी ओर निम्न वर्ग को मानव का दर्जा ही नहीं देती। सवर्णों की जिस हिकारत व नफरत का दलितों को सामना करना पड़ता है, वह कितना पीड़ादायक है इसका अहसास हरियाणा की हिंदी कविताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि दलित उत्पीड़न की दिल दहला देने वाली जितनी घटनाएं हरियाणा में हुई हैं शायद ही ऐसी घटनाएं देश के किसी अन्य हिस्से में हुई हों। दुलीना, हरसौला, गोहाना, जाटू लोहारी आदि में हुई अमानवीय घटनाएं इसके उदाहरण हैं।

अंतर्जातीय विवाह को डॉ. अंबेडकर वर्ण–व्यवस्था व जाति–प्रथा को समाप्त करने का सबसे कारगर तरीका मानते थे। उनके अनुसार केवल खून के मिलने से ही रिश्ते की भावना पैदा होगी और जब तक सजातीयता की भावना को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जाता, तब तक जाति–व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई पराएपन की भावना को दूर नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अंतर्जातीय विवाह हो भी रहें हैं, लेकिन इसमें भी ब्राह्मणवाद अपना बचाव करता है और दलित के साथ इस तरह के संबंध को सहज स्वीकार नहीं करता है। वह अपनी शर्तों पर ही इसे स्वीकार करना चाहता है। जयपाल ने 'अंबेडकर और रविदास' कविता की भूमिका में लिखा है कि भीमराव अंबेडकर और संत रविदास के चित्र ड्राईंग रूम में लगे होने के कारण अंबाला के एक दलित उच्च अधिकारी के बेटे की सगाई टूट गई। प्रेम विवाह के लिए तैयार स्वर्ण जाति के वधु–पक्ष को इन तस्वीरों से आपत्ति थी।

अधिकारी महोदय
तुम चाहे जिस जाति से हो
हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर सकते हैं
पर हमारी भी एक प्रार्थना है
सगाई से पूर्व तुम्हें अपने घर से
रविदास और अंबेडकर के चित्र हटाने होंगे
कल को हम रिश्तेदार बनेंगे तो
आना–जाना तो होगा ही
कैसे हम तुम्हारे घर ठहरेंगे
कैसे खाना खायेंगे
और कैसे दो बात करेंगे
जब सामने अंबेडकर और रविदास होंगें।[8]

मनुवादी ताकतों ने दलितों की सांस्कृतिक चेतना को कुंद करने के लिए ऐसी–ऐसी संहिताओं शास्त्रों का निर्माण किया जिससे उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जा

सके। ब्राह्मणवादी मूल्यों की स्थापना के लिए रामायण, महाभारत, मनुस्मृति सरीखे ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों को ईश्वरीय विधान बताकर राम, कृष्ण, द्रोणाचार्य आदि प्रतीकों का निर्माण किया गया। इनके द्वारा किए गये कुकृत्यों को समाज में आदर्श के तौर पर पेश किया गया। वहीं दलित प्रतीकों शम्बूक, एकलव्य, कर्ण आदि पर हुए अत्याचारों को सामाजिक–सांस्कृतिक रवायत के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजेन्द्र बड़गूजर की कविता 'बड़सीकरी रुलाराम हत्याकांड' में उत्पीड़न की इसी विचारधारा का पर्दाफाश किया गया है :–

दिन–दिहाड़े
शूद्र की
आंखों, कानों में तेजाब डाल दिया गया
उसकी जीभ काट ली गई
उसे तेल के उबलते कढ़ाहे में फेक दिया गया
उसके छोटे–छोटे बच्चों को
बचपन से ही रेंगकर चलने का पाठ पढ़ा दिया गया[9]

डॉ. अंबेडकर दलित–मुक्ति के लिए शिक्षा को सबसे कारगर हथियार मानते थे। उनका मानना था कि दलित जब शिक्षित हो जाएंगे तो वे अपने अधिकारों को लेकर जागरुक होंगे और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने नारा भी दिया कि 'शिक्षित बनो', 'संगठित हो' और 'संघर्ष करो'। उनका ये भी मानना था कि दलितों को अपने पैतृक धंधे छोड़कर नये व्यवसाय को अपनाना चाहिए। और इसके लिए दलितों को शिक्षा व सत्ता हासिल करनी चाहिए। डॉ. सुशील 'शीलू' की कविता 'मैला ढोता भारत' अंबेडकर के इसी विजन की ओर इशारा करती है।

स्वतंत्र भारत का वह हिस्सा
जो आज भी हिंदुस्तान का उपनिवेश है
विवश है मल–मूत्र ढोने के लिए
अपने ही देश में बेदखल
झाड़ू–टोकरी लिए फिरतें हैं
कश्मीर से कन्याकुमारी तक
वक्त आ गया है अब
एकत्र होने का
फेंक सब झाड़ू–पीपे
अयोध्या–काशी–मथुरा–अक्षरधाम में
सुनो बोधिवृक्ष की पुकार
महू की मिट्टी का आह्वान
कुव्यवस्था के शिकंजे को तोड़
हासिल करनी है अपनी आजादी
संसद भवन की गवाही में।[10]

दलितों ने सवर्णों के शोषण व उत्पीड़न का लम्बे समय से सामना किया है। लेकिन वर्तमान में दलित अंबेडकरवादी चेतना व संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण जागरुक होकर धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक शोषण के खिलाफ बगावत कर रहे हैं।

हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
गांव माखोसरानी, जिला व तहसील सिरसा
(हरियाणा), पिन–125110
मोबाइल– 9468183394

संदर्भः–

1 बृहत् हिंदी कोश , सं. कालिका प्रसाद , राजवल्लभ सहाय, मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव, ज्ञानमण्डल लिमिटेड ,वाराणसी , पृ.–510
2 उत्तर सदी के हिंदी कथा–साहित्य में दलित विमर्श श्यौराज सिंह बेचैन , अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्टीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड , दिल्ली , पृ.–14
3. सुशील शीलू, दलित कविता रू परंपरा और परिप्रेक्ष्य, पृ.–18
4 दलित साहित्य की संस्कृति , कंवल भारती , पृ.–25
5. संत रैदास का निवर्ण संप्रदाय, डॉ. धर्मवीर , समता प्रकाशन, पृ. –19
6. कबीर और रामानंद : किंवदंतियां, डॉ. धर्मवीर, वाणी प्रकाशन , पृ.–127
7. 'यपाल, दरवाजों के बाहर, पृ.– 71
8 जयपाल, दरवाजों के बाहर, पृ.– 65
9 डॉ. राजेन्द्र बड़गूजर, कुछ मत कह देना, पृ. – 46
10 डॉ. सुशील शीलू, मैं शपथपत्र नहीं लूंगा, पृ.–44

जैन दर्शन में नीति तत्त्व

– डॉ. बबलू वेदालंकार

जैन दर्शन अध्यात्म शास्त्र है। यह दर्शन भी अन्य भारतीय दर्शनों की भांति मनुष्य के आचरण का परम आदर्श अर्थात् परम मूल्य 'मोक्ष' को ही मानता है। वह मोक्ष के सापेक्ष ही अपनी आचार मीमांसा का प्रासाद खड़ा करता है। जैन दार्शनिक उन आचार तत्त्वों का प्रतिपादन करते हैं जोकि मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हों तथा उन आचार तत्त्वों का खण्डन करते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इनके आचार सिद्धान्तों में पूर्ण पवित्रता पर बल दिया गया है। इसके लिए तप आवश्यक है जितना तप अधिक होगा पवित्रता भी उतनी ही अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति भी उतनी ही शीघ्रता से होगी। इसलिए इन्होंने अपनी आचार मीमांसा के सिद्धान्तों को तथा इनके पालन को अन्तिम पूर्णता तक पहुंचाया अर्थात् उनके पालन में किंचित् भी ढील नहीं दी है। इन्होंने अनेक आचार तत्त्वों का सृजन किया, जिनमें पंचमहाव्रत उनका मूल आधार है।

पंचमहाव्रत–पंचमहाव्रत योगदर्शन के वर्णित अष्टांग योग के पांच यमों के समान हैं। ये महाव्रत हैं– अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन दार्शनिक हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन (कुशील) और परिग्रह को पाप मानते हैं तथा इनसे दूर रहने को व्रत मानते हैं। इनके पूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं तथा आंशिक त्याग को अणुव्रत कहते हैं। महाव्रतों का पालन करना साधुओं के लिए आवश्यक है। समाज में रहते हुए गृहस्थी अणुव्रतों का पालन करते हैं, क्योंकि समाज को चलाने के लिए कुछ मात्रा में इन व्रतों का पालन करना कठिन हो जाता है। इससे जैन दर्शन की व्यावहारिकता का पता चलता है। ये पंचमहाव्रत संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अहिंसा महाव्रत – मन, वचन, कर्म से किसी जीव को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। इसके विपरीत अहिंसा है। इनके अहिंसा महाव्रत के पालन में जीवन की व्यापकता का ध्यान रखना आवश्यक है। ये जीव, जन्तु, वनस्पति, पृथ्वी आदि में भी जीव मानते हैं। इसलिए वनस्पति को काटने, पृथ्वी को खोदने आदि का भी अहिंसा पालन के लिए निषेध किया गया है। अग्नि के जलाने का भी निषेध है क्योंकि इसके जलने से अनेक जीव–जन्तुओं की हिंसा हो जाती है। जैन मुनि हरी घास पर भी नहीं चलते क्योंकि उनमें भी जीव है अतः उन्हें भी कष्ट होता है और उस घास में रहने वाले अनेक छोटे जीव कीड़े–मकोड़े आदि की भी मृत्यु हो जाती है। अहिंसा के पूर्ण पालन पर बल देने के कारण ही इसे महाव्रत कहते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को खेती–बाड़ी आदि भी करनी पड़ती है अतः उसे कुछ अहिंसा के पालन में छूट दी जाती है। अतः गृहस्थी के लिए अहिंसा अणु व्रत (अर्थात् अहिंसा पालन में कुछ छूट) का विधान किया गया है। किसी प्राणी को हिंसा के लिए प्रेरित करना तथा उसका समर्थन करना भी हिंसा माना जाता है। अतः अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए इसका भी निषेध है।

सत्य महाव्रत – सद्भाव (यथार्थ) प्रकाशन को सत्य कहा जाता है। किसी को कष्ट देने वाले वचन, कठोर वचन आदि जो दूसरों को पीड़ा देते हो, उनका भी त्याग करना सत्य है। यथार्थ, मृदु, प्रिय और सदा दूसरों के हितकारी वचनों का प्रयोग ही सत्य माना जाता है। सत्य महाव्रत के पालन में किसी भी स्थिति में, चाहे अपने प्राण ही क्यों न चले जायें, तो भी असत्य

वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सत्य का पूर्ण पालन करने पर ही वह सत्य महाव्रत बन सकता है। हमेशा विवेकपूर्वक, संयमित, सन्तुलित व सत्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। क्रोध, लोभ, भय और हँसी–मजाक का भी त्याग करना चाहिए क्योंकि इनके करने से असत्य वाणी निकलने की सम्भावना रहती है।

अचौर्य महाव्रत (अस्तेय) – अदत्त वस्तु का ग्रहण न करना अस्तेय है । अर्थात् बिना किसी की दी हुई वस्तु को मन, वचन, कर्म से ग्रहण न करना अस्तेय है। अस्तेय महाव्रत के पालन में दूसरों को भी चोरी के लिए मन–वचन व कर्म से मदद न करना, प्रेरित न करना भी सम्मिलित है। मिट्टी, जल, तिनके जैसी वस्तु का भी बिना अनुमति के ग्रहण करना चोरी है। अचौर्य महाव्रत की स्थिरता व सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि ऐसे गिरि, गुफा आदि शून्य स्थानों में ठहरे। किसी स्वामी द्वारा छोड़े गये मुक्त द्वार मकान में ठहरे तथा उसे स्वयं की सम्पत्ति कदापि न समझे और कोई दूसरा प्राणी भी उस स्थान पर ठहरना चाहे तो उसे रोके भी नहीं। भिक्षावृत्ति द्वारा आहार ग्रहण करें और अन्य साधुओं के साथ भी अपने पराये का भेद भाव न रखें। ये अस्तेय महाव्रत की भावनाएं हैं।

ब्रह्मचर्य महाव्रत – इन्द्रिय और मन के निग्रह को ब्रह्मचर्य कहते हैं। मन, वचन व कर्म से काम वासना का त्याग आवश्यक है। काम वासना की ओर अन्यों को प्रेरित करना या उनकी पूर्ति में मदद करना भी अब्रह्मचर्य है। काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करना आवश्यक है। ब्रह्मचारी को उन सभी भौतिक एवं मानसिक परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जिनसे तनिक भी कामवासना के उत्पन्न होने की सम्भावना हो। तत्त्वार्थ सूत्र में ब्रह्मचर्य महाव्रत की रक्षा के उपायों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि स्त्रियों की चर्चा न करना, उनमें राग बढ़ाने वाली कथा न सुनना, दुर्भावना पूर्वक उनके अंगोपांगों का अवलोकन न करना, पूर्व भोगे गये विषयों के सेवन का स्मरण न करना, कामोत्तेजक गरिष्ठ भोजन का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का भी त्याग करना चाहिए ।

अपरिग्रह महाव्रत – जैन दर्शन सभी प्रकार के परिग्रह करने का निषेध करता है, क्योंकि परिग्रह करने के लिए ही जीवन की समस्त भाग–दौड़ होती है। संग्रह करने से उनके प्रति आसक्ति भी बढ़ती है। आसक्ति से युक्त कर्म करने से कर्म पुद्गल बन्धन का कारण बनते हैं। ये दार्शनिक संयम की रक्षा व शारीरिक आवश्यकता तथा ज्ञानवर्धक शास्त्रों के संग्रह करने को किसी सीमा तक उचित मानते हैं, लेकिन वे अपरिग्रह की पूर्णता के लिए संयम के साधनों के प्रति भी आसक्ति का पूर्ण रूप से निषेध करते हैं। शरीर को (नग्न) जन्मे बालक की भांति रखने के पीछे भी उनका एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण शरीर व वस्त्रों के प्रति आसक्ति की भावना को तोड़ना है। इसका अर्थ शरीर को नष्ट करना नहीं अपितु अनासक्त भाव रखते हुए ही शरीर का संयमशील ढंग से पालन–पोषण करना है।

अपरिग्रह को पूर्णता प्रदान कराने वाली पांच भावनाएँ जैन दार्शनिकों ने स्वीकार की है। ये भावनाएँ सभी इन्द्रियों के अपने–अपने विषयों के प्रति राग–द्वेष आदि से रहित अनासक्त भाव का होना है। ये भावनाएँ हैं – "1– श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द के प्रति राग–द्वेष रहितता अर्थात् अनासक्त भाव, 2– चक्षुरिन्द्रिय के विषय रूप के प्रति अनासक्त भाव, 3– घ्राणेन्द्रिय के विषय गन्ध के प्रति अनासक्त भाव, 4– रसनेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्त भाव तथा 5– स्पर्शनेद्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव 110 अपरिग्रह व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने से ही यह अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। लेकिन ग्रहस्थों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संग्रह या परिग्रह करने की छूट जैन दार्शनिक देते हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए अपरिग्रह अणुव्रत का विधान किया गया है।

दिगम्बर सम्प्रदाय के कर्तव्य – जैन दर्शन के दो सम्प्रदाय बन गये जोकि सिद्धान्तों में ज्यादा भेद नहीं मानते थे। परन्तु आचार सम्बन्धी विचारों में पर्याप्त भिन्नता रखते थे। इनके दो सम्प्रदाय बने हैं – दिगम्बर व श्वेताम्बर। दिगम्बर को अचेलक भी कहा जाता है। दिगम्बर का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश वस्त्र अर्थात् जिसका वस्त्र आकाश है। दिगम्बर सम्प्रदाय आचार के प्रति कठोर है। इनका मनना है कि केवली आहार नहीं करते और मुक्ति के लिए वस्त्रों का पूर्ण त्याग करना अति आवश्यक है। चूंकि स्त्री दिगम्बर अर्थात् वस्त्रों का पूर्ण त्याग नहीं कर सकती। अतः स्त्री को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये यह भी मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक है, गृहस्थी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये दिगम्बर व पूर्ण वीतराग प्रतिमाओं को ही पूजनीय मानते हैं। दिन में एक ही समय खड़े–खड़े अपने हाथों में लेकर भोजन करते हैं। ये आचरण में किसी भी प्रकार की छूट को स्वीकार नहीं करते।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के कर्तव्य – श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय आचार के नियमों के प्रति दिगम्बर सम्प्रदाय की अपेक्षा कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाता है। श्वेताम्बर का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद वस्त्र अर्थात् सफेद वस्त्र धारण करने वाला। श्वेताम्बर को सचेलक भी कहते हैं। ये दिगम्बरों के प्रायः सभी सिद्धान्तों से सहमत होते हुए आचार के सम्बन्ध में उनसे भिन्न, उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं। इनका यह भी मानना है कि निर्वाण पुरुष के साथ–साथ स्त्री को भी हो सकता है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त के अनुसार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय, दिगम्बर के अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है। इनका मत है कि निर्वाण के लिए संन्यास लेना अति अनिवार्य नहीं है। यदि गृहस्थ व्यक्ति भी अपने कर्म पुद्गलों से छुटकारा, गृहस्थ के अणुव्रतों का पालन करके पा लेता है तो उसे भी निर्वाण की प्राप्ति होना सम्भव है। ये निर्वाण को उपलब्ध 'जिन' को भी भोजन की आवश्यकता को स्वीकार करते है। वस्त्रों में भी मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। अतः स्त्रियाँ भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। महावीर ने भी शादी की थी तथा उनकी एक पुत्री भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जहाँ दिगम्बरों का मोक्ष केवल कुछ संन्यासियों के लिए है वहीं श्वेताम्बरों का मोक्ष सभी संयमशील व्यक्तियों, सन्यासियों, गृहस्थों, स्त्रियों व पुरुषों के लिए है। अतः श्वेताम्बर का आचार मीमांसीय दृष्टिकोण दिगम्बर सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक व्यापक, उदार और व्यावहारिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन दार्शनिक साधु–सन्यासियों को पतन से रोकने के लिए तथा परम तत्त्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठिन नैतिक नियमों का विधान करते हैं वहीं गृहस्थी अच्छे समय के निर्माण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अणुव्रत का विधान करते हैं जोकि सम्प्रति समय में प्रासंगिक है।

Mobile 7500008505

संदर्भः–

1. असि. प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग गुरुकुल काँगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
2. हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्योविरतिव्रतम् ।। तत्त्वार्थसूत्र 7–1
3. तत्त्वार्थसूत्र 7–2
4. सद्भावोद्भावनं सत्यम् ।। जैन सिद्धान्त दीपिका 6–9
5. अदत्ताग्रहणं अस्तेयम् ।। जै ० सि ० दी 0 6–10
6. तत्त्वार्थसूत्र 7–6
7. इन्द्रियमनोनिग्रहो ब्रह्मचर्यम् ।। जै ० सि ० दी 0 6–11
8. तत्त्वार्थसूत्र 7–7
9. दशवैकालिक 6–20
10. आचारांग 2–3 तत्त्वार्थसूत्र 7–9

युगान्तर परिवर्तन

– डॉ. पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी

परिवर्तन । परिवर्तन ।। परिवर्तन ।।।
कैसे हो परिवर्तन ?
स्वार्थ टकराते हो जब
शोषक–शोषित के, सवर्ण–अवर्ण के, एक–दूसरे के

क्षत्रिय बनी जातियों के लोग चाहते हैं
''जर–जोरु जमीन'' पर बिना श्रम किये एकाधिकार
वह गरीब असहाय कामगारों और रोटी–रोजी से मोहताजों का
संसार चाहता है, वोट–बैंक की खातिर

वैश्य–बनिया बनी जातियों के लोग जो हैं
मांगते है उपभोक्ताओं, सौन्दर्य–प्रसाधनों के रोगियों की भीड़
वे चाहते हैं टूट जायें चौकियां, चौखट, खेत, बाग–बगीचे–घर
और खड़ी रहें उनकी अट्टालिकायें, मन्दिर–अन्न भंडार–औषधालय
सत्ता सुन्दरी के साथ सौन्दर्यानन्द का खेल चलता रहे
गरीब और गरीब बनकर उनकी सदाशयता पलता रहे

ब्राह्मण चाहता है–
केवल धनी यजमान
जो व्रत–कथा, पूजा–पाठ, श्राद्ध–तीर्थ में उलझा रहे
अगला जन्म सुधारने के लिए धन–धान्य उलीचता रहे
जो अपना घर–आंगन, खेत–खलिहान गिरवे रख कर भी
मनुवादी हिन्दूत्व का प्याला पीकर, मदहोश होकर
ब्राह्मण को सोम–स्वर्ण के पात्र
भर–भर कर पिला सके

मैं वही ब्राह्मण
आजाद लोकतांत्रिक सरकार के संविधान के पचास वर्षों का सहयात्री
कविता–सृजना को अपने धन–मान श्रेष्ठता के लिए
''हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्तान'' के नाम पर बेच रहा हूँ
सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता को धता बता रहा हूँ

क्या सनातनी कविता मुझे
ज्ञान–विज्ञान के अक्षर युग में
अपमान–अभाव के दलित महासागर में डुबो देगी ?

आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022

मध्यप्रदेश शासन

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर
समस्त प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

आइये, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं,
हर घर तिरंगा लहरायें

तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी
harghartiranga.com पर अवश्य अपलोड करें
या इस website पर वर्चुअल फ्लैग पिन करें।

हर घर तिरंगा

D18509/22

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2022

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी जी
की
अट्ठारहवीं पुण्यतिथि
(07/08/22)
पर आश्वस्त परिवार की ओर से
विनम्र श्रद्धांजलि

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स , 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार